



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124891

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 15008 वर्ष 2026

पवन शर्मा

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : आशीष पांडेय, विपुल पांडेय, निखिल पाठक

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय अनिल कुमार-एक्स, न्यायमूर्ति

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री डी. के. राय उपस्थित हैं।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकद्दमा अपराध संख्या 714 वर्ष 2018, भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 409, 406, 352, 506, पुलिस थाना प्रेमनगर, जिला बरेली में मामले के विचारण के लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चार व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने प्रेस्टीज इंफ्राडेवलपर इंडिया लिमिटेड नामक अपनी भूसंपदा फर्म में निवेश के बहाने ग्राहकों से भारी रकम एकत्र की। उन्होंने प्रस्तुत किया कि कथित घटना के समय आवेदक उक्त फर्म का निदेशक नहीं था। यह प्रस्तुत किया गया कि निदेशकों में से एक राजेंद्र कुमार को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28.09.2020

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 25107 वर्ष 2020 (राजेंद्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त राजेंद्र कुमार का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था। आवेदक का नाम न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में है और न ही वह उक्त कंपनी का निदेशक था। अपीलकर्ता निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक दिनांक 09.12.2025 से जेल में निरुद्ध है। ऐसी परिस्थितियों में, अपीलकर्ता जमानत का हकदार है।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि विवेचना के दौरान सह-आरोपी राजेंद्र कुमार का बयान दर्ज किया गया था और उसने कहा था कि कंपनी के पांच निदेशक थे। वर्तमान आवेदक और अन्य चार निदेशक कंपनी के मामलों में सक्रिय रूप से शामिल थे। इसलिए, वर्तमान आवेदक की भूमिका सह-आरोपी राजेंद्र से भिन्न है जिसे जमानत दी गई है। अतः, आवेदक जमानत का हकदार नहीं है।
5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। यह स्वीकृत तथ्य है कि सह-आरोपियों में से एक राजेंद्र कुमार, जो उस समय कंपनी का निदेशक था, को जमानत दे दी गई है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि पांच निदेशक थे और सह-आरोपी राजेंद्र के बयान के अनुसार, आवेदक भी निदेशकों में से एक था। इसलिए, वर्तमान आवेदक की भूमिका को सह-आरोपी से अलग नहीं किया जा सकता है।
6. दी गई परिस्थितियों में, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया जाता है।
7. उपर्युक्त मामले में संलिप्त आवेदक- पवन शर्मा को उसके द्वारा व्यक्तिगत बंधपत्र और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए इतनी ही राशि की दो प्रतिभुओं को प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए कि:-
 - (i). आवेदक विवेचना या विचारण के दौरान गवाहों को डरा-धमकाकर/दबाव डालकर अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii). आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
 - (iii). आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या कोई अपराध करने में लिप्त नहीं होगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय को आरोपी की उपस्थिति के लिए उचित दंडात्मक कार्रवाई करने या दी गई जमानत को रद्द करने की स्वतंत्रता होगी। बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभुओं की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

03 जून, 2026

एस.के.

(अनिल कुमार-एक्स, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।